भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1909

दिनांक 17.12.2013/26 अग्रहायण, 1935 (शक) को उत्तर के लिए

लोगों का पलायन

1909. श्री सुदर्शन भगत:
श्री अंजनकुमार एम० यादव:
श्री लक्ष्मण टुडु:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की बड़ी जनसंख्या पलायन करने को बाध्य है और यह पलायन विश्व का सबसे अंत:राष्ट्रीय पलायन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस पलायन को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार के पास पलायन के मामले में पलायनकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई नीति है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह)

(क और (ख): राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय (एन एस एस ओ) राष्ट्र-व्यापी सर्वे करता है और उसने अपने 64वें राउंड में संकलित डाटा के आधार पर "भारत में पलायन, 2007-2008" शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट संख्या 533 प्रकाशित की है। इसमें यह प्राक्कलित है कि सर्वे किए गए लोगों में 25.5 प्रतिशत ऐसे पलायनकर्ता थे जिनके लिए पलायन के प्रमुख कारण पुरुषों में रोजगार से संबंधित थे और महिलाओं में यह शादी से संबंधित थे। भारत के महापंजीयक भारत में दस-वर्षीय जनगणना का संचालन करते हैं, जिसमें अन्य विविध सामाजिक- आर्थिक एवं जनसंख्यिकी पैरामीटरों के साथ पलायन से संबंधित आंकड़ों का संकलन किया जाता है, लेकिन इसमें जबरन पलायन से संबंधित आंकड़े शामिल नहीं हैं।

(ग) और (घ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) ऐसे ग्रामीण घरों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार मजदूरी की गारंटी प्रदान करती है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम प्रदान करने को इच्छुक होते हैं। गांव के गरीब परिवारों के सदस्यों को स्वरोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)/राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) कार्यान्वित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में महात्मा गांधी एनआरईजीएस पर 39.657.04 करोड़ रु० की राशि खर्च की गई थी, जिससे 22,986 लाख व्यक्ति दिवस रोजगार पैदा हुआ। एसजीएसवाई/एनआरएलएम के अंतर्गत 1012.33 करोड़ रु0 की राशि से 11.44 लाख स्वरोजगारियों को सहायता दी गई।

(ड.) और (च): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इस प्रकार पलायनकर्ताओं की सुरक्षा सहित अपराध के रोकथाम, उसका पता लगाने, आपराधिक मामला दर्ज करने ओर उसकी जांच के लिए राज्य सरकारें मुख्य रुप से जिम्मेवार हैं। तदनुसार, संबंधित राज्य सरकार अपने स्थानीय/विशेष कानूनों के आधार पर पलायनकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम उठाती है।

*****